

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़

पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 161/2025

1 योगिता पुत्री ज्ञानप्रकाश जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. इकबाल सिंह पुत्र तारासिंह
2. छिन्द कौर पत्नी गुरमेल सिंह
3. दिलबाग सिंह पुत्र गुरमेल सिंह
4. राजवीर कौर पत्नी दिलबाग सिंह
5. सुखविन्द कौर पत्नी इकबाल सिंह
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

जाति कम्बोज सिख निवासी टिब्बी तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 13/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील जीतासिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 6 एस. एल. डबल्यू के प०न० 213/313 मु० 59 किलानं० 12, 13, 14/.759, 15/1/.228, 15/2/.025 गै०मु० खाला, 16/1/.228, 16/2/.025 है० गै०मु० खाला, 17, 18, 19 /.759, 22,23,24/.759, 25/1/.228, 25/2/.025 है० गै०मु० खाला, प०न० 213/314 मु० 70 किलानं० 1,2,3 /.759 है० आराजी वादीया का खाता प्रतिवादीगण से अलग किया जाकर रकम राज अलग कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।